न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, खगड़िया।
उपस्थितः संजय कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–305/2026
जवाहर सिंह एवं 4 अन्य बनाम बिहार राज्य

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
25.03.2026	मानसी थाना कांड संख्या–53/2026 जी0आर0 संख्या–574/26 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 303(2), 75, 352, 3(5) बी.एन.एस. के तहत आरोपित आवेदक अभियुक्तगण 1. जवाहर सिंह, 2. आशुतोष कुमार उर्फ गणेश, 3. शंभु कुमार सिंह, 4. अश्वनी कुमार 5. सुनीता कुमारी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्या कुमार सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। अभिलेख आज संचालित किया गया। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के बिन्दु पर कथन किया है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं एवं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें इस झूठे एवं मनगढंत केस में गलत ढंग से फंसाया गया है। आवेदक आशुतोष कुमार, अश्वनी कुमार एवं शंभु कुमार सिंह के विरुद्ध एक आपराधिक इतिहास है जिसमें वे जमानत पर हैं। उभयपक्ष गोतिया व पड़ोसी हैं। सूचिका के पति द्वारा अधिक गेहूं–चावल की मांग को लेकर हुए विवाद के कारण उसके द्वारा आवेदकगण के विरुद्ध यह झूठा केस लाया गया है। आवेदकगण द्वारा सूचिका को कोई जख्म कारित नहीं किया गया है। उनके विरुद्ध आरोपित धाराओं के तहत अपराध नहीं बनता है। आवेदकगण धारा–482 बी.एन.एस.एस. के तहत न्यायालय के सभी नियमों व शर्तों को मानने एवं विचारण का सामना करने को तैयार हैं एवं उनके फरार होने की संभावना नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया गया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है। सूचिका शिल्पा कुमारी के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 28.02.26 को सुबह 8.00 बजे जवाहर सिंह, शंभु सिंह, आशोतोष उर्फ गणेश, अश्वनी कुमार, रामबाबु, किशन बाबु सभी मिलकर सूचिका के साथ मारपीट किया तथा उसके साथ छेड़खानी भी	

लगातार : 2 25.03.2026	किया। रामबाबु, किशनबाबु श्रीनट से उसके उपर गोली तान दिया था। सूचिका का कथन है कि ये लोग बरबर उसके साथ मारपीट, गाली–गलौज करता है। जवाहर सिंह और आशुतोष कुमार ने उसका गला दबा दिया एवं उसकी नाइटी फाड़ दिया। सुनीता कुमारी उसका मंगलसूत्र छीन ली। उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचिका द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। मामला पूर्व विवाद से प्रेरित परिलक्षित हो रहा है एवं इस वाद में सूचिका द्वारा कोई जख्म का उल्लेख नहीं किया गया है। वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की साधारणता को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को इस आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें धारा–482 बी.एन.एस.एस. के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन मो0 10000/–(दस हजार) रुपये साथ समान राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर एवं जांचोपरान्त उसे सही पाये जाने व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाता है। सभी जमानतदार अभियुक्तगण के निकट संबंधी होंगे। (लेखापित एवं शुद्धित) संजय कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, खगड़िया।	